प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या –299 / 2023

अनवान : –

1. दुलाराम पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. ममता पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. कविता पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 10/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स० 80/79 की कुल 4.8500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें जो वादी के दादा रामेश्वर पुत्र रूघाराम के देहान्त के बाद प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज उपरोक्त कृषि पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी स० 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी स० 1 के नाम बतौर हिन्दु खान दान दर्ज है तथा प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी स० 1 के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण स० 1 व 2 ता 3 बहिब के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो कि वादीगण की बहिने है तथा प्रतिवादी स० 1 की पुत्रीयान है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादी स० 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीया स० 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:21 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रतिवादी स0 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किय।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 80/79 की कुल 4.8500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 80/79 की कुल 4.8500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 3.184 हैक्ट भूमि का वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1.666 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक...10/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–.जबरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –299/2023

अनवान : –

1. दुलाराम पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. ममता पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. कविता पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 80/79 की कुल 4.8500 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 3.184 हैक्ट भूमि का वादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1.666 हैक्ट भूमि का वादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:21 IST
Reason: SelfAttested